



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-489-अधि०प्र०-03/पाकालि/2019-3(64)ई०एम०-03/2010

दिनांक: 18 मार्च, 2019.

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ।

विषय : इ० खलीकुर्रहमान (अभिज्ञान संख्या-2010064), सेवानिवृत्त (दिनांक 31.12.2015) सहायक अभियन्ता को पेंशन व ग्रेच्युटी अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इ० खलीकुर्रहमान (अभिज्ञान संख्या-2010064), सहायक अभियन्ता, जो दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता, ताज ट्रिपेजियम खण्ड-प्रथम, आगरा के पत्रांक-753/ता०ट्रि०ख०प्र०/आ०, दिनांक 15.06.2010 द्वारा रु०-16.13 लाख के डाले गये विविध अग्रिम को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वाद सं०-30962/2011 खलीकुर्रहमान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 02.05.2016 को पारित अंतिम निर्णय का प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा द्वारा निस्तारित किये जाने तक कारपोरेशन पत्रांक-1117-अधि०प्र०-03/पाकालि/16-3(64)ई०एम०-03/2010 दिनांक 20.07.2016 द्वारा अनन्तिम पेंशन अधिकृत की गयी थी।

उक्त प्रकरण मुख्य अभियन्ता (वितरण-प्रथम), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1413/मु०अ०(वितरण)/आ०क्ष०-प्रथम/आगरा, दिनांक 07.02.2019 द्वारा समाप्त किये जाने के उपरान्त इ० खलीकुर्रहमान (2010064) सेवानिवृत्त (31.12.2015) सहायक अभियन्ता को अब यथा नियम अनुमन्य पेंशन/ग्रेच्युटी अधिकृत करने में कोई प्रशासनिक आपत्ति नहीं है तथापि इन लाभों को अधिकृत करते समय यथासूचित निम्नलिखित कटौती व समायोजन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें:-

1. जिलाधिकारी, हमीरपुर के कार्यालय आदेश संख्या-5571/मेमो/विद्युत दुर्घटना/क्षतिपूर्ति/2015-16, दिनांक 29.12.2015 द्वारा हुई विद्युत दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु डाले गये विविध अग्रिम रु० 50,000.00 (रुपये पचास हजार) मात्र की कटौती।
2. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 02.05.2016 के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (वितरण-प्रथम), आगरा के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1413/मु०अ०(वितरण)/आ०क्ष०-प्रथम/आगरा, दिनांक 07.02.2019 द्वारा विविध अग्रिम प्रकरण समाप्त किये जाने के उपरान्त, विगत में हुई कटौती का समायोजन।

(हस्ताक्षर)

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि विभागीय आवास यदि आवंटित हो तो खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पैन्ल रेन्ट आदि बकाया न हो। यह अवर अभियन्ता से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता हैं, इनके अवर अभियन्ता (वरिष्ठता क्रमांक-5038) काल से सम्बन्धित उक्त व अन्य (यदि को हों) देयों का समायोजन भी सुनिश्चित कर लिया जाये।

कृपया कृत कार्यवाही से अधिशासी प्रबन्ध अनुभाग-03 को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0-03)

संख्या-489-(1)अधि0प्रब0-03/पाकालि/2019,दिनांक: 18.03.2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

पंजीकृत

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, ऊर्जा भवन, 220 केवी संस्थान, सिकन्दरा, आगरा-282007।

पंजीकृत

2. मुख्य अभियन्ता (वितरण-प्रथम), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा क्षेत्र, आगरा।

पंजीकृत

3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत

4. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, ताज ट्रिपेजियम खण्ड-प्रथम, विद्युत भवन, गैलाना रोड, आगरा।

पंजीकृत

5. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत वितरण खण्ड, गोविन्द नगर, कानपुर।

पंजीकृत

6. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।

7. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9. इं0 खलीकुरहमान, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता मकान नं0-33/10, अजीतगंज कालोनी, पोस्ट-ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर-208023 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपनी पेंशन/ग्रेच्युटी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित खण्ड/ लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ से यथावश्यक प्रपत्रों सहित अविलम्ब सम्पर्क स्थापित करना सुनिश्चित करें।

10. कट फाइल।

(हिमांशु वार्ष्णेय)

उप सचिव (अ0प्र0-03)